

are not able to put any material inputs which are required for the purpose of production. There was a very useful report about it which has been taken up with the various State Governments, and there is an all-India Committee also to see and watch the progress of land reforms in these various States. But I might confess that inspite of these efforts, we have not made any considerable progress.

**Shri Sham Lal Saraf:** May I know whether the Government will extend the further activities of this programme of package districts to all the States and, if so, who will meet their expenses? I want to know whether the States or the Centre will do it.

**Shri Shyam Dhar Misra:** This will be a State plan scheme. The State Governments, under the plan schemes, will cover the cost, and the cost of this programme.

progress made up-to-date in the preparation of authoritative Hindi texts of Central Acts is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-6857/66].

(b) The Official Language (Legislative) Commission has been requested to translate into the various Indian languages as many Central Acts as possible with the existing staff. The Commission as reconstituted in June, 1966 has already prepared a short term programme for this purpose and according to it the existing staff have already started working.

(c) The Official Language (Legislative) Commission has an annual programme for the preparation of authoritative Hindi version of Central Acts and Rules. A scheme for the preparation of authoritative Hindi version of all Central Acts and Rules and of the translation of Central Acts into the various official languages is under consideration.

### भारतीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद

\* 603. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: क्या विधि मंत्री 26 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद कराने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन अधिनियमों का अन्य भारतीय भाषाओं में शीघ्र अनुवाद कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सभी अधिनियमों का हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने के लिये बनाये गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं?

**The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman):** (a) A statement showing the

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कि कानूनों और नियमों के हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद का काम हो रहा है, तब भी अभी तक इस विधायी आयोग के सदस्यों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई है और जिस घीमी गति से काम हो रहा है, उस को दृष्टि में रखते हुए यह अनुवाद का काम पूरा होने में कितने वर्ष लगेंगे ?

**विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक):** संख्या इस साल बढ़ाई गई है। इस वक्त 9 पर्सनल मेम्बर हैं, जिन में से 7 काम कर रहे हैं और 2 की जगह भरनी है। कमीशन में 16 पार्ट-टाइम मेम्बर हैं, जिन में से 13 काम कर रहे हैं और 3 और आने वाले हैं। इस वक्त यह नहीं कहा जा सकता है कि यह काम कब तक खत्म होगा। इसका प्रोग्राम सालाना बनता है और इस वक्त भी प्रोग्राम कमीशन के सामने मौजूद है और कमीशन को कहा गया है कि इस काम को जल्दी से किया जाये।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक मेरी जानकारी है, यह विधायी आयोग विभिन्न कानूनों का जो हिन्दी अनुवाद तैयार करता है, वह प्राधिकृत पाठ (एयारिटेडिव वर्शन) नहीं होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कानूनों के हिन्दी और भारतीय भाषाओं के अनुवाद को प्राधिकृत रूप देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जो बिल पेश किये जाते हैं, वे प्राधिकृत रूप में हिन्दी में पेश किये जायें, इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं सवाल को समझा नहीं हूँ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : लेजिस्लेटिव कमीशन कानूनों का हिन्दी में जो अनुवाद करता है, वह प्राधिकृत पाठ (एयारिटेडिव वर्शन) नहीं होता है। उसके लिए कुछ और कार्यवाही करनी पड़ती है, जिसमें और विलम्ब होता है। जितने अनुवाद हुए हैं, वे प्राधिकृत पाठ नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि विभिन्न नियमों और कानूनों का जो अनुवाद किया जाता है, उस को प्राधिकृत रूप देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। पार्लियामेंट में जो बिल पेश किये जाते हैं, उनके हिन्दी अनुवाद को प्राधिकृत पाठ का रूप देने के सम्बन्ध में जो कठिनाई है, उसको दूर करने के लिए मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** If the hon. Member looks at the statement which is running into three or four pages, the first list refers to the Acts which have been finalised by the Commission—they are about 28 in number. Then, there is a list of Bills. Many of the Bills are being circulated to the States and not all the States are accepting these translations. It is a time-consuming process. Even among Hindi States, as I said on a former occasion, it is not as if everybody is agreed on common terminology.

Therefore, there is some delay. But I may also say that we have now sent for example translations of the Transfer of Property Act and the Contract Act, these are big Acts, to various States and we are asking them to send their views and they have not sent their replies so far. There is also a legal glossary and a supplementary glossary has been issued. It means about Rs. 12 lakhs per year. It is a matter of finance also.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्. मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय ने बताया है कि अमुक अमुक कठिनाइयाँ हैं। मैंने पूछा है कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : कमीशन के चेयरमैन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बीच बीच में उनसे मेरी बातचीत भी हो जाती है।

**Shri S. Kandappan:** Sometime ago, we had witnessed a fanatic insistence of Hindi-speaking Members to have everything in Hindi in this House and elsewhere in the Central administration. Now that the Government has accepted all the national languages as media for the U.P.S.C. examinations, it becomes imperative that all the Central Acts should be translated in all the national languages simultaneously. I would like to know the progress made as far as the other languages are concerned in this regard.

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** So far as Madras is concerned, they have already got a commission and, as has been pointed out by the Minister, we have done away with the part-time members to some extent. What happens is that we ask the States to send their secretaries or some senior officers....

**Shri S. Kandappan:** I want to know in concrete terms what are the codes so far translated in other languages. You have given a list as far as Hindi is concerned.

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** I have already stated that I have given in the list.

**Shri S. Kandappan:** I have got the statement here....

**Mr. Speaker:** I have also read the statement; it is given there.

**Shri Bhagwat Jha Azad:** As the hon. D.M.K. Member pointed out, there are many Acts which have not been translated into Tamil, Bengali, Telugu, Oriya, Marathi and also Hindi. I would like to know whether the hon. Minister feels satisfied that with the translation of Transfer of Property Act and the Contract Act the progress has been enough during these years. What efforts are being taken to translate more of these Acts in the regional languages and also Hindi and send them to the States?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** As has been pointed out by the hon. Member, transliteration in Bengali, Marathi, Canarese, Oriya, Punjabi, Tamil, etc., is also important. We are really sending them to the States and many of them have not been sent back to us.

**Shri S. Kandappan:** On a point of clarification. In the statement it is stated:

"List of Acts whose regional texts translations have been sent to State Governments."

Does it mean that the glossary of technical words is the same for Hindi as well as the other texts?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** It is a two-way traffic. We try to evolve some terms. For example, for Tamil there are Tamil translators here also. There is also a Committee in Madras and, if I remember aright, the Chief Justice is also associated with it; they got it and send back to us. Some of them have not been sent back by them as yet.

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने यह नहीं बताया है कि क्या दिक्कत है कि ट्रांसलेटर्ज नहीं मिल रहे हैं। अगर ट्रांसलेटर्ज नहीं मिल

रहे हैं, तो सरकार इसके लिए एडवरटाइजमेंट क्यों नहीं करती है ? पार्ट-टाइम ट्रांसलेटर्ज रखने से क्या फायदा है, जब कि काम पीछे पड़ जाता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय हिन्दी को प्रादेशिक भाषाओं के साथ क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ट्रांसलेशन का काम पीछे हटता जा रहा है। जो बिल यहां पर पेश किये जाते हैं और जो कानून हम यहां पर डिस्कस करते हैं, हमें उनका हिन्दी में तर्जुमा हासिल नहीं होता है। क्या सरकार बतायेगी कि यह काम जल्दी से जल्दी कब तक होगा ?

अध्यक्ष महोदय : पार्ट-टाइम ट्रांसलेटर्ज के बारे में किस ने कहा है ?

श्री यशपाल सिंह : वह कहते हैं कि पूरे ट्रांसलेटर्ज नहीं मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो मेम्बरज के बारे में कहा है कि वे पार्ट-टाइम हैं।

श्री यशपाल सिंह : मैं चाहता हूँ कि दिक्कत हाउस के सामने रखी जाये।

**Mr. speaker:** The question is only so far as the Bills that are supplied to the Members are concerned; it is said that they do not get them in Hindi; when would it be possible for the Members to get those texts in Hindi?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** They are being prepared. I think some of them are coming in Hindi. I do not think that the hon. Member means that none of them is coming in Hindi.

**Shrimati Ramdulari Sinha:** May I know whether the Government propose to give priority for translation of labour legislation in various languages to educate the working masses?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** I think one of the Acts is also the Industrial Disputes Act. I shall check it up.

श्री बूटा सिंह : कुछ समय पहले भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री गजेन्द्रगडकर ने बम्बई यूनिवर्सिटी के कान्वोकेशन के उद्घाटन के समय गवर्नमेंट को प्रौर, विद्या-पियों को कुछ वारनिंग दी है। क्या मंत्री महोदय के नोटिस में वह वारनिंग आई है; यदि हां, तो उनका रोएक्शन क्या है ?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** We are aware of it. He was referring to the need for a common language. So far as technical terms are concerned, they must have one language and he was indicating therein English also.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के पूर्व जबकि अंग्रेजी सरकार यहां थी और जब कि प्रादेशिक भाषाओं प्रदेशों में नहीं चल रही थीं उस समय प्रादेशिक भाषाओं में हमारे केन्द्राय अनुवाद के रूप में उपलब्ध हो जाते थे, अब क्या कारण है कि सरकार उसको केन्द्र में न करा कर राज्यों की जिम्मेदारी पर डालती है और जनता को प्रादेशिक भाषाओं के कानून उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और साथ ही साथ क्या कारण है कि जो विधेयक यहां मिलने चाहिए थे वह साथ साथ नहीं मिलते हैं ?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** I have already indicated it, but I can give it in a little more detail. So far as Madras and Bengal are concerned, they are not accepting the translations sent from Delhi. But they want some subvention from us to the tune of about Rs. 12 lakhs; they have given reasons, and they have given the break-up of the figure also. So, we are trying to evolve a formula to associate their own people here and also send some of our Acts there for translation. But as I have said already, it is a time-consuming process.

**Shri Mohammad Tahir:** In the list which has been supplied it does not appear that Urdu is there. Urdu has been one of the fourteen languages mentioned in the Constitution. May

I know when the Acts are being translated in other languages, they are also translated in Urdu?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** So far as Urdu is concerned, I may tell the hon. Member that some of the legal terms are in Urdu. For instance, we have the words *maddayee*, *muddaleh* for plaintiff and defendant, and also *vaadi* and *prativaadi* for the same word. So, we are trying to evolve some Urdu words and some Hindi words.

**Shri Mohammad Tahir:** There are legal terms contained in Urdu also. For instance, the word *addalat* is an Urdu word.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब विधि मंत्रालय ने राज भाषा विधायी आयोग बनाया हुआ है, कोई नये सिरे से उसको अनुवाद की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी तो फिर राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत रहते हुए संसद में जो भी नये कानून आयें, वह दोनों भाषाओं में आयें इसमें सरकार को क्या कठिनाई अनुभव हो रही है और वह राजभाषा अधिनियम स्वीकृत होने के बाद अब तक उस पर कानूनों के बारे में क्यों नहीं अमल किया जा रहा है ?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** I have given a list of the Bills.

**Mr. Speaker:** He says that every Bill that is being brought before the House must be brought before the House in Hindi also and that also should be the authorised version.

**Shri G. S. Pathak:** In practice, we are trying....

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में ही बोलिये ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सरकार यह कोशिश कर रही है कि जितने बिल पेश किये जाते हैं उनका हिन्दी में भी अनुवाद किया जाता है और 43 बिलों का अनुवाद किया जा चुका है। और कमीशन उनका अनुवाद करता है, इसकी कोशिश की जा रही है।

श्री प्रफावर्यार आस्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिलकुल भिन्न था कि राजभाषा अधिनियम जो संसद से स्वीकृत हुआ है उसके अधार पर यहां जो विधेयक हिन्दी में आ उनकी प्रामाणिकता अभी नहीं है, वह केवल अनुवाद मात्र है, तो राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत रहते हुए उस प्रकार के विधेयक उपस्थित हों ऐसी व्यवस्था सरकार कब तक करने जा रही है ?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** It is not as if it is completely absent. Just a little while ago, my colleague Shri Shyam Dhar Misra was finding it difficult to translate some of the technical terms. For instance, take a Bill like the Cotton Cess Bill; some of the terms there are very difficult to translate. So, the delay is only on account of the technical terms, for which no words have yet been found. But otherwise, the Bills are coming.

खाद्य तेलों के लाने ले जाने पर पाबन्दी

†

\*604. श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने गुजरात से अन्य राज्यों को खाद्य तेलों के लाने ले जाने पर अब कोई पाबन्दियां लगा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन पाबन्दियों के कारण अन्य राज्यों में असंतोष विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपसत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। ये प्रतिबन्ध मूंगफली तथा मूंगफली के तेल पर लागू होते हैं।

(ख) देश में (जिसमें गुजरात भी शामिल है) इस वर्ष मूंगफली के कुल उत्पादन में कमी होने के कारण और गुजरात से निर्यात न होने के कारण गुजरात से बाहर मूंगफली के तेल की कमी रही है और इससे अन्य राज्यों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम को गुजरात की मण्डियों से स्वीकृत मात्रा में मूंगफली का तेल खरीद कर देश के अन्य भागों को भेजने की स्वीकृति दी गई है। मूंगफली के तेल की मांग को कम करने के लिए वनस्पति उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अमरीका व रूस से सोयाबीन व मूरजमुखी का तेल खरीदा गया है।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि गुजरात सरकार ने अपने यहां से तेल पर प्रतिबन्ध इसलिए लगाया है कि गुजरात में खाद्य सामानों की कमी है, वह उन को जो सरप्लस स्टेट्स हैं, उनसे नहीं मिलता है, उस के प्रतिकार के लिए गुजरात सरकार ने इस तरह का प्रतिबन्ध लगाया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : श्रीमन्, ऐसे प्रतिकार की कोई उनकी भावना नहीं है। इस विषय पर कई बार उन से बहस हुई है और मैं स्वयं अभी माननीय मंत्री के आदेश से गुजरात गया था। वहां उन से इस पर विचार हुआ। यह बात सही है कि सरकार जो प्रोडक्शन है ग्राउंडनट आयल और ग्राउंडनट सीड का वह सब जगह कम है और गुजरात में भी कम है और इसलिए उनको दिक्कतें स्वयं की भी बहुत काफी हैं। वह सोचते हैं कि उनकी स्वयं की भी दिक्कत बड़ जायेगी अगर वह दूसरी जगहों को भेजेंगे।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ऐसा योजना बना रही है कि पिछले दो तीन साल के अन्दर गुजरात से जो-जो स्टेट्स जितना-जितना तेल मंगाते थे, उसी हिसाब से जितना कमी हुई है उस कमी को देखते हुए, उसी मात्रा